



संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ  
Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Med. Sciences,  
Raibareli Road, Lucknow- 226 014 (U.P.), INDIA

Phones: 0522-2668004-8,2668700-800-900 Fax: 91-0522- 2668017,2668078

पत्रांक:- पी0जी0आई0/निदे0/चि0अधि0/ 3833 /2014 दिनांक अगस्त 2014

01/3/14

कार्यालय आदेश

उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम , 2011 के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं की सूची के संबंध में , 30 प्र0 शासन , चिकित्सा शिक्षा अनुभाग - 2 ने अपने पत्र संख्या - 2743 / 71 - 2 -14 - सा0 -05 / 2013 दिनांक 08 अगस्त , 2014 के माध्यम से लोक सेवा प्रबंधन अनुभाग 30 प्र0 शासन की अधिसूचना दिनांक 27.11.2013 द्वारा प्रसारित जनहित गारंटी के रूप में संस्थान के लिए आच्छादित निम्नलिखित सेवाओं को अधिसूचित किया जाता है ।

अनुसूची

| क्र0 सं0 | विभाग      | सेवा संख्या | प्रकरण  | निस्तारण की समय सीमा |                         |                    |
|----------|------------|-------------|---|----------------------|-------------------------|--------------------|
|          |            |             |   | आवेदन की तिथि से     | प्रथम अपील              | द्वितीय अपील       |
| 25       | S.G.P.G.I. | 4           | i. चिकित्सा प्रमाण पत्र (एलोपैथिक पद्धति) जारी करने पर निर्णय               | 07 दिवस              | 15 दिवस (CMS)           | 15 दिवस (Director) |
| 6        | S.G.P.G.I. | 10          | ii. पेंशन स्वीकृति पर निर्णय  | 60 दिवस              | 30 दिवस (ER/CMS/JDA/FO) | 30 दिवस (Director) |
|          |            |             | iii. जी. पी . एफ . स्वीकृति पर निर्णय                                       | 30 दिवस              | 15 दिवस (FO)            | 15 दिवस (Director) |
|          |            |             | iv. चिकित्सा अवकाश स्वीकृति पर निर्णय                                       | 15 दिवस              | 15 दिवस (ER/CMS/JDA)    | 15 दिवस (Director) |
|          |            |             | v. चिकित्सा प्रतिपूर्ति पर निर्णय (तकनीकी एवं अनिवार्यता परीक्षण के बाद ) । | 60 दिवस              | 30 दिवस (FO)            | 30 दिवस (Director) |
|          |            |             | vi. प्रोविजिनल पेंशन स्वीकृति पर निर्णय                                     | 30 दिवस              | 30 दिवस (FO)            | 30 दिवस (Director) |
|          |            |             | vii. उपार्जित अवकाश स्वीकृति पर निर्णय                                      | 15 दिवस              | 7 दिवस (ER/CMS/JDA)     | 7 दिवस (Director)  |

उपरोक्त आदेश अधिसूचना के अनुसार प्रभावी माने जायेंगे ।

(प्र0 आर0के0 शर्मा)  
निदेशक

प्रतिलिपि:-

1. अपर निदेशक, समस्त विभागाध्यक्ष, ई.आर., सी. एम. एस. , चिकित्सा अधीक्षक, संकाय सदस्य ।
2. समस्त नोटिस बोर्ड, एवं संस्थान वेबसाईट ,अधिकारी ,कर्मचारी ।
3. वित्त अधिकारी, संयुक्त निदेशक प्रशासन, समस्त ओ0पी0डी0 एवं वार्ड इन्चार्ज ।

*Rep*  
(प्र0 आर0के0 शर्मा)